Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव। फरियादी प्रभू उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादिवं की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अप्रराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमित से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 बी भा0द0वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अमिलेखागार मेजा जावे।

Azwhather सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी

ALC: HIM

CHENGLETZI